न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34 / 2021	14.06.2021	01.04.2022

अनवान

1. गणेश लाल पुत्र कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. राधेश्याम पुत्र कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
3. मु. देऊ पुत्री कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ(राज.)।
4. मु. सत्तु पुत्री कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
5. मु. प्रेमदेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मुगांना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
6. मेघा पुत्र दल्ला जाति कुम्हार निवासी मुंगाना फौत के बजाय

   6(1) उदयराम पुत्र मेघा जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

   6(2) किशनलाल पुत्र मेघा जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
7. भगवान लाल पुत्र डालु जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी मुंगाना फौत के बजाय –

   1(1) जगदीश पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

   1(2) मुकेश चन्द्र पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.) ।

   1(3) रामचन्द्र पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

   1(4) हरलाल पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

   1(5) मु. बसन्ती पुत्री हजारी पत्नि राजु जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना हाल निवास डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:40:20 IST
Reason: SelfAttested

1(6) मु. भगवानी पुत्री हजारी पत्नि भैरुलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी मुंगाना हाल निवास जगन्नाथपुरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)।

2. मु. मांगी पुत्री नारायण जाति कुम्हार फौत के बजाय–

2(1) शम्भुलाल पुत्र गोवर्धन लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

2(2) मु. हगामी पुत्री गोवर्धन लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा	प्रार्थीगण
एक तरफा	अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 429 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3301 रकबा 0.04 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उपरोक्त आराजी से आराजी संख्या 3303 सटी हुई है जो अप्रार्थी संख्या 1(1) से 1(6) के स्वामित्व व आधिपत्य की है। अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात संख्या 3303 व आराजी नम्बर 3301 के मध्य आ.चा. की सीमा के पुख्ता निशानात नहीं होने से आये दिन विवाद व भय बना रहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर खसरा संख्या 3301 क्षेत्रफल 0.04 है0 की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 01.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1(1) से 1(4) व 2(1) से 2(2) के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। 1(5) व 1(6) के खिलाफ कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्राप की जाती है। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:20 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 429 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3301 रकबा 0.04 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:20 IST
Reason: SelfAttested